[ISSN : 2348-2605]

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

(त्रैमासिक हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान पत्रिका)

www.gejournal.net

E-mail: hindires@gmail.com

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान
शोध पत्रिका
(त्रैमासिक हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान पत्रिका)

मुस्लिम समुदाय में विवाह एवं तलाक : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

बालक राम राजवंशी
गैस्ट फैकल्टी
समाजशास्त्र विभाग
हेमवती नन्दन बहुगुणा
गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय
(बी0जी0आर0)परिसर पौड़ी,
उत्तराखण्ड –246001

प्रस्तुत लेख का प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में विवाह एवं तलाक लेने एवं देने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालना है।यह लेख पूर्णतः वर्णात्मक शोध अभिकल्प पर आधारित है। भारतीय समाज में कई नृजातीय (एथनिक) समूह हैं,जिनमें जाति और धार्मिक समूह भी नृजातीय समूह में आते हैं। भाषाई समूह भी नृजातीय समूह में शामिल किये जाते हैं। हिन्दू जातियों का समूह एक बड़ा नृजातीय समूह है।हिन्दुओं के पश्चात् अन्य नृजातीय समूहों में मुस्लिम,इसाई,सिख और पारसी आते हैं।सामान्यतया सिख समुदाय को हिन्दू–समाज का ही एक वृहद समूह समझा जाता है।इनके विवाह के रस्म – रिवाज हिन्दुओं जैसे ही हैं। विवाह में हमें पृथकता मुस्लिम, और पारसी सामाजिक संगठनों में देखने को मिलती है।

इस्लाम सनातनी अरबी धर्म का परिवर्तित रूप है, इसलिए मुस्लिम संस्थाओं एवं सामाजिक व्यवस्थाओं पर सनातनी अरबी व्यवस्थाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है।प्राचीन अरब में प्रचलित विवाह और परिवार के स्वरूप ने मुस्लिम विवाह और परिवार को अनेक रूपों में प्रभावित किया है और वह प्रभाव वर्तमान में भी दिखाई पड़ता है।

राबर्टसन स्मिथ (1907) ने प्राचीन अरब समाज में प्रचलित विवाह के तीन लक्ष्ण बतलाये हैं–

(i)स्त्री अपने पति का चुनाव करने में स्वतन्त्र थी।

(ii)वह अपने पति को अपने डेरे या तम्बू में बुलाती,उसके साथ सम्बन्ध रखती और अपनी इच्छानुसार जब चाहे तब उसे बाहर निकाल देती थी।

(iii) ऐसे विवाह से उत्पन संतति स्त्री के बन्धू–बान्धवों या रिश्तेदारों के संरक्षण में पलती थी।

ऐसे विवाहों का स्थान,जिसको राबर्टसन स्मिथ ने **"बीनाविवाह"** कहा है। वर्तमान में "बाल –विवाह" अथवा "आधिपत्य विवाह" (Marriage of Dominion) ने ले लिया है।इसमें स्त्री अपने पति के घर रहने आती है और सन्तान पति के गोत्र से सम्बन्धित होती है।इस प्रकार के विवाहों में अपनी इच्छानुसार अपने पति को छोड़ देने की मूल स्वतन्त्रता को स्त्री ने खो दिया।वहीं दुसरी ओर,विवाह–विच्छेद पति का ही एकमात्र विशेषाधिकार हो गया। लेकिन विवाह का यह नवीन रूप विवाह की पुरानी प्रथा को पूर्णतः समाप्त नही कर सका,जो मुताह– विवाह के रूप में मुहम्मद साहब के समय तक चलती रही।

अरब समाज में विवाह के क्षेत्र में स्त्री अधिक स्वतन्त्र थी,लेकिन धीरे–धीरे उसकी यह स्वतन्त्रता छिनती गयी। उसके अधिकार सीमित होते गये और विवाह के क्षेत्र में पुरूष का आधिपत्य होता गया। वह एक से अधिक स्त्रियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने लगा अर्थात बहुपत्नी–विवाह का प्रचलन प्रारम्भ हुआ।

कापड़िया (1959) ने बताया है कि किसी अतिथि के प्रति आतिथ्य भाव को प्रकट करने के लिए अपनी पत्नी को उसे प्रदान करने का रिवाज अरब लोगों में था।श्रेष्ठ सन्तान चाहने वाला अरब अपनी पत्नी को किसी महान पुरूष के साथ रहने को कह देता। पति कुछ समय के लिए अन्यत्र चला जाता और अपनी पत्नी के पास उसी समय लौटता,जब गर्भावस्था काफी विकसित हो जाती। जब कोई अरब यात्रा के लिए बाहर जाता तो अपनी पत्नी को अपने किसी मित्र को सौंप जाता। अरब अपनी पत्नी को भोगने में उस व्यक्ति को साझेदार बना लेता जो उसकी भेड़ों की देखभाल करता। अरब पुरूष का अपनी पत्नी के सतीत्व (पतिव्रत्य) के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं था। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि उसे अपनी सम्पति समझता था,जिसको जैसे वह श्रेष्ठ समझता,उस तरीके से उपभोग करने या काम में लेने के लिए स्वतन्त्र था।स्वामी के रूप में अपनी सम्पति के उपयोग के लिए वह सर्वश्रेष्ठ निर्णायक था।

मुस्लिम विवाह को निकाह कहते हैं।यह एक अरबी शब्द है। मुस्लिम समाज में हिन्दुओं की भाँति निकाह को धार्मिक अर्थ में नहीं लिया जाता। यह एक प्रकार का समझौता है।

मुस्लिम कानून के अनुसार – विवाह एक सामाजिक या बिना शर्त का दीवानी समझौता है। लेकिन यह समझौता प्रत्येक मुस्लिम के लिए आवश्यक है। इसका मुख्य उददेश्य घर बसाना, सन्तानोत्पत्ति और उन्हें वैद्यता प्रदान करना है। मुस्लिम विवाह के तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं–

i. विवाह का प्रस्ताव – यह प्रस्ताव वर तथा वधू के पक्षों या उनके नामों पर रखा जाता है।
ii. प्रस्ताव को एक या दो पुरूष व दो महिलाओं की गवाही पर स्वीकार किया जाता है।
iii. दहेज या मेहर का बन्दोबस्त किया जाता है।

मुस्लिम–विवाह के उद्देश्य (Aims of Muslim marriage) :– मुस्लिम–विवाह के उद्देश्यों के सम्बन्ध में डी0एफ0मुल्ला0 (1955) ने कहा है कि मुस्लिम विवाह बिना शर्त के एक समझौता है,इसका एक उद्देश्य मात्र सन्तानोत्पत्ति होता है। अतः मुस्लिम विवाह के निम्न उद्देश्य हैं–

i. स्त्री–पुरूष को यौन सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार प्रदान करना।
ii. सन्तानों को जन्म देना और उसका पालन–पोषण करना।
iii. "मेहर" द्वारा पति – पत्नी के पारस्परिक अधिकारों को स्थयी बनाना।
iv. सन्तानों को उचित पालन – पोषण हेतु बहुपत्नी विवाह को स्वीकृति प्रदान करना।
v. एक समझौते के रूप में पति–पत्नी को यह अधिकार देना कि यदि उनमें से कोई समझौते का पालन नहीं करता है तो दूसरा पक्ष भी उसे छोड़ सकता है।

मुस्लिम–विवाह की शर्तें (Conditions of Muslim Marriage) :– मुस्लिम–विवाह के लिए कुछ शर्तो का होना आवश्यक है,जिनमें से मुख्य शर्ते निम्न हैं–

1. प्रत्येक मुस्लिम पुरूष जो बालिग (15 वर्ष की अवस्था का) हो चुका है तथा जो पागल न हो अर्थात सही दिमाग का हो,निकाह के लिए समझौता कर सकता है। पागल तथा नाबालिग बच्चों के निकाह के लिए उनके संरक्षकों (वली) की स्वीकृति आवश्यक है। विवाह के समय यदि लड़के – लड़की में से कोई भी नाबालिग हो, तो उसे बालिग या वयस्क होने पर विवाह – सम्बन्ध को समाप्त करने का अधिकार रखता है। इसे "खैरूल बालिक" कहते हैं। लेकिन साधारणतः पिता या दादा द्वारा किये गये विवाह मुस्लिमों में परम्परागत् नियमों के अनुसार इस आधार पर समाप्त नहीं किए जा सकते।
2. विवाह की स्वीकृति दोनों पक्षों की स्वतन्त्र इच्छा से होनी चाहिए न कि धोखे या जबरदस्ती हो।

3. विवाह की स्वीकृति मिलने के अवसर पर दो गवाहों अथवा एक पुरूष और दो स्त्री गवाहों का होना आवश्यक है।
4. विवाह के लिए लड़के – लड़की की स्वीकृति काजी के सम्मुख होनी चाहिए।
5. मुस्लिमों में एक स्त्री एक ही पुरूष से विवाह कर सकती है,परन्तु एक पुरूष एक साथ चार स्त्रियों से विवाह कर सकता है। स्त्री पहले पति से तलाक लेने या उसकी मृत्यु के बाद ही दूसरा विवाह कर सकती है।
6. मुस्लिम स्त्री केवल मुस्लिम पुरूष के साथ ही विवाह कर सकती है,परन्तु मुस्लिम पुरूष किताबिया स्त्री से भी विवाह कर सकता है। जो धर्म किसी किताब पर आधारित है,उसके अनुयायियों को किताबिया कहते हैं, जैसे – इसाई/ मुस्लिम पुरूष को अग्नि – पूजक स्त्री के साथ सामाान्य विवाह की आज्ञाा नहीं दी गई है।वह ऐसी स्त्री के साथ अस्थाई विवाह कर सकता है, जिसे मुताह विवाह के नाम से पुकारते हैं।
7. विवाह की एक शर्त के रूप में यह भी आवश्यक है कि "मेहर" की राशि चुका दी गई हो या इसको निश्चित कर लिया गया हो।
8. विवाह के समय लड़के – लड़की का सामान्य स्थिति में होना आवश्यक है अर्थात् वे मादक द्रव्य,जैसे शराब आदि के नशे में न हों।
9. जो स्त्री इद्दत की अवधि (चार मासिक धर्मो के बीच तीन महीनें की अवधि) में हो,उसके साथ विवाह को अनियमित माना गया है।
10. अति निकट के सम्बन्धियों में विवाह वर्जित है अर्थात् निषिद्व सम्बन्धों की श्रेणी में आने वाले लोगों का आपस में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता। उदाहरण– कोई भी माता,दादी,पुत्री,दोहती,सगी बहिन, चाची, मौसी तथा भाई – बहिन की लड़कियों से विवाह नहीं कर सकता। इनसे विवाह निषिद्व है,परन्तु भाईयों के सन्तानों में आपस में विवाह हो सकता है।
11. मुस्लिमों में तीर्थ–यात्रा के समय वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित नही किये जा सकते हैं (गुप्ता,2005:344)।

मुस्लिम–विवाह विधि (Rituals of Muslim Marriage):– मुस्लिम– विवाह, जिसे निकाह कहा जाता है,काजी की अध्यक्षता में सम्पन्न कराया जाता है। यह परम्परा है कि इसमें कानून के दोहे पढ़ते हुये अल्लाह से नये जोड़े के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है।विवाह के लिए वर तथा वधू दोनों की अनुमति ली जाती है।विवाह के अन्त में एक औपचारिक दस्तावेज तैयार किया जाता है,जिसे निकाहनामा कहते हैं। मेहर मुस्लिम स्त्री की सुरक्षा की गारन्टी है। मेहर एक ऐसी आवश्यक प्रथा है जिसके बिना कोई भी मुस्लिम–विवाह सामाजिक और कानूनी वैद्यता प्राप्त नही कर सकता। मेहर में कोई निश्चित रकम या सम्पत्ति नहीं दी जाती है। वर और वधू के परिवार की सामाजिक और आर्थिक–स्थिति को देखकर मेहर की रकम तय की जाती है। रकम देने का तरीका भी एक समूह से दूसरे समूह में भिन्न होता है। मेहर विवाह के बाद दिया जा सकता है। इसे भविष्य में देने की कोई भी तारीख तय की जा सकती है (दोषी एवं जैन,2009:209)।

मुस्लिमों मे तलाक (विवाह–विच्छेद) (Divorce among Muslims) :– मुस्लिम विवाह एक समझौता माना गया है न कि धार्मिक संस्कार। इसे जन्म – जन्मान्तर का सम्बन्ध नहीं माना गया है। ऐसी दशा में मुस्लिमों में इस समझौते को समाप्त करने की व्यवस्था भी की गई है,विवाह – विच्छेद को उनमें न्यायसंगत माना गया है।मुस्लिम समाज में,अन्य समाजों की तुलना में विवाह – विच्छेद की प्रक्रिया अत्यन्त सरल है। सामान्यतया पति के तीन बार तलाक शब्द बोल देने से ,विवाह – विच्छेद हो जाता है। मुस्लिमों में सामान्यतया विवाह – विच्छेद के दो तरीके हैं।

1. परम्परागत विवाह – विच्छेद (तलाक)। 2. न्यायिक तलाक।

परम्परा के अनुसार तलाक (Divorce According to tradition):– मुस्लिम समाज में साधारणतः तलाक बिना अदालत की सहायता से होते हैं। पुरूष को इस दृष्टि से व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। मुस्लिम समाज में तलाक के परम्परागत स्वरूप निम्न हैं–

1. **तलाक (Talak)** – मुस्लिम कानून के अनुसार कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क वाला पुरूष जो वयस्क है। (15 वर्ष की आयु प्राप्त है), कारण बतलाए बिना भी अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। यह तलाक केवल शब्दों के उच्चारण मात्र से ही पूर्ण हो जाता है। यदि पति दवाब या नशे की हालत में या पत्नी की अनुपस्थिति में **"तलाक"** का उच्चारण कर देता है,तो भी तलाक वैध माना जाता है।शिया कानून के अनुसार– तलाक के लिए दो योग्य गवाहों की उपस्थिति में तलाक का उच्चारण आवश्यक है,परन्तु सुन्नी कानून के अन्तर्गत गवाहों की कोई आवश्यकता नहीं है। तलाक की घोषणा स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा की जा सकती है। तलाक लिखित रूप में भी हो सकता है और अलिखित रूप में भी। अलिखित तलाक के तीन रूप होते हैं –
   i. <u>तलाक –ए–एहसन</u> (Talak-A-Ahsan):– तलाक के इस प्रकार में पति पत्नी के तुहर (मासिक धर्म) के समय एक बार तलाक की घोषणा की जाती है। इसके बाद इद्दत की अवधि में वह पत्नी के साथ यौन–सम्बन्ध स्थापित नहीं करता और इस अवधि के समाप्त हो जाने पर तलाक हो जाता है। इद्दत की अवधि चार मासिक धर्म के बीच के तीन माह को कहते हैं।इद्दत की अवधि का प्रमुख लक्ष्य यह ज्ञात करना होता है कि स्त्री गर्भवती तो नहीं है। साथ ही इस अवधि में पति को अपने इस तलाक सम्बन्धी निर्णय पर पुनः विचार करने को मिल जाता है। इस अवधि में यदि वह अपने निर्णय को बदलना चाहे तो पत्नी के साथ सहवास कर लेता है और ऐसी दशा में तलाक की घोषणा वापस ले ली जाती है।
   ii. **तलाक –ए–हसन (Talak-A-Hasan)**:– तलाक के इस प्रकार में पति को तीन तुहरों के अवसर पर तलाक की घोषणा को दोहराना पड़ता है।इन तीन तुहरों की अवधि के मध्य वह पत्नी के साथ सहवास भी नहीं करता है।इस अवधि के बाद तलाक पूर्ण हो जाता है।
   iii. **तलाक–ए–उल–बिददत (Talak-A-UL-Biddat)** इस प्रकार के तलाक में पति पत्नी के मासिक धर्म के अवसर पर तलाक की तीन बार घोषणा करता है। तलाक की घोषणा के समय पत्नी या गवाह की उपस्थिति अनिवार्य है। इद्दत की अवधि के बाद तलाक हो जाता है।
2. **जिहर (Zihar)**:– जब पति तलाक चाहता है तो वह अपनी पत्नी की तुलना ऐसे सम्बन्धी से करता है,जिससे विवाह करना निषेध होता है।उदाहरण– जब वह अपनी पत्नी को माँ,बहन या दादी कहता है,तो इसका मतलब हुआ वह उसे तलाक देना चाहता है। ऐसा कहने पर पत्नी अपने पति से प्रायश्चित करने को कहती है। प्रायश्चित नहीं करने पर पत्नी अदालत जाती है तथा अदालत तलाक की स्वीकृति दे देती है।
3. **इला (Illa)** –जब पति कसम खाकर चार महीने या इससे अधिक समय तक,पत्नी के साथ यौन–सम्बन्ध नहीं रखने की प्रतिज्ञा करता है तो इसे "इला" कहते है। इस अवधि के पश्चात तलाक हो जाता है। यदि इस अवधि में वह पत्नी के साथ यौन – सम्बन्ध स्थापित कर लेता है तो इला टूट जाता है और ऐसी दशा में तलाक नहीं होता है।

4. **खुला (Khulla or Redemption)**:– खुला विवाह–विच्छेद का वह प्रकार है,जिसमें पत्नी पति से विवाह – विच्छेद के लिए प्रार्थना करती है और पति के वैवाहिक अधिकारों की समाप्ति के बदले में प्रतिफल के रूप में प्राप्त मेहर को वापस लौटाकर क्षतिपूर्ति का वादा करती है।
5. **मुबारत (Mubarrat or Mutual Sepration)**:– यह एक प्रकार से खुला तलाक है। यह तलाक पति–पत्नी की पारस्परिक सहमति के आधार पर होता है। इसमें दोनों ओर से तलाक की इच्छा प्रकट की जाती है।
6. **लियान (Lion or false charge of Adultery)**:– इस प्रकार के तलाक में पति,पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है। पत्नी इस आरोप का खण्डन करती है और अदालत से प्रार्थना करती है कि या तो पति अपने इस आरोप को वापस ले या खुदा को हाजिर–नाजिर समझकर यह घोषणा करे कि यह आरोप सत्य है। यदि पति का आरोप झूठा सिद्व होता है तो पत्नी को विवाह–विच्छेद का अधिकार मिल सकता है और वह अदालत की सहायता से विवाह–विच्छेद कर सकती है। यदि पति अपना आरोप वापस ले लेता है तो मुकदमा नही चलता है।
7. **तलाक – ए –तफबीज (Talak-A-Tafbeej)**:– विवाह–विच्छेद के इस प्रकार में पत्नी द्वारा तलाक की माँग की जाती है।यह माँग विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को दिए गये अधिकार के आधार पर की जाती है।
2. **न्यायिक तलाक (Judicial Divorce)**:– मुस्लिम समाज में पुरूषों को विवाह–विच्छेद सम्बन्धी अनेक अधिकार प्राप्त हैं और वे इच्छानुसार,कभी भी अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं,परन्तु स्त्रियाँ अपने पति की इच्छा के विरूद्व कभी भी तलाक नहीं दे सकतीं और वे अनेक निर्योग्यताओं से पीड़ित रहती है। इन निर्योग्यताओं को दूर करने के उद्देश्य से सन 1937 में मुस्लिम शरीयत अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत मुस्लिम स्त्रियों को इला और जिहर के आधार पर विवाह–विच्छेद का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम के पारित होने के उपरान्त भी स्त्रियों को पुरूषों के समान विवाह–विच्छेद सम्बन्धी अधिकार प्राप्त नहीं हुए और अन्त में स्न 1939 में मुस्लिम विवाह–विच्छेद अधिनियम पारित हुआ। मुस्लिम विवाह –विच्छेद अधिनियम,1939 के अनुसार स्त्रियों को विवाह–विच्छेद सम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्रदान किये गये है। इस अधिनियम में 6 धाराएँ हैं,जिनमें धारा 2 अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार एक स्त्री जिसका विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार हुआ है,निम्न आधारों पर विवाह–विच्छेद के लिए प्रार्थना पत्र देकर राजाज्ञा प्राप्त कर सकती है–
    1. यदि पति के बारे में चार वर्ष तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हो।
    2. यदि पति लगातार दो वर्ष तक अपनी पत्नी के भरण–पोषण की व्यवस्था करने में असफल रहा हो।
    3. यदि पति को सात वर्षों के लिए जेल की सजा हो चुकी हो। इस आधार पर तलाक उस समय दिया जा सकता है,जब सात वर्ष की सजा का आखिरी फैसला हो चुका हो।
    4. यदि पति तीन वर्ष से बिना पर्याप्त किसी कारण के अपने वैवाहिक कर्तव्यों को पूर्ण नहीं कर रहा हो।
    5. पति संक्रामक,यौन रोग या कोढ़ से पीड़ित हो।
    6. यदि उसका विवाह 15 वर्ष से कम आयु में उसके पिता या अन्य संरक्षक द्वारा कर दिया गया हो और इस अवधि में पति–पत्नी का यौन सम्बन्ध न हुआ हो तथा लड़की ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पहले ही ऐसे विवाह के विरूद्व प्रतिवेदन कर दिया हो।

7. यदि पति पत्नी से क्रुरता करता हो। इसके साथ व्यभिचारपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए दवाब डालता हो।
8. यदि पति–पत्नी के धार्मिक कार्यो में बाधा पैदा करता हो।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय में विवाह एक प्रकार का कानूनी समझौता है और यह समझौता कब तक चलेगा इसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता क्योंकि मुस्लिम समुदाय में ऐसा कोई संस्कार नही सम्पन्न किया जाता है जो यह प्रमाणित कर सके कि यह एक मात्र समझौता न होकर एक प्रकार से विवाह धार्मिक संस्कार है। अतः इस आधार पर जब पति और पत्नी के आपसी सम्बन्ध में टकराव होता है तो उस टकराव का अन्ततः परिणाम तलाक होता है। वर्तमान वैश्विक समय में मुस्लिम स्त्रियों में भी अपने अधिकारों के प्रति उनमें जागरूकता आ रही है जिसके कारण वह भी अपने पति से तलाक के विषय में कानूनी सलाह लेने में निःसंकोच आगे आ रही हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. Smith,Robertson.1907. *The Religion of the semites*,uk : Transaction Publishers.
2. Kapadiya,K.M.1959, *Marriage and family in India*,Jaipur:Rawat Publication.
3. जैन, शोभिता. 1996. *भारत में परिवार,विवाह और नातेदारी*,जयपुरः रावत पब्लिकेशन।
4. Mulla,D.E. 1955.*Principles of Mohammedan Law*,New Delhi:Jain Books Agency.
5. Ahmad, Imtiyaz. 1976.*Family kindhip and Marriage among Muslims in India,*New Delhi : Manohar Books Publication.
6. Shaikh,Abrar Husain. 1976.*Marriage Customs among Muslims in India*,New Delhi:M.D.Publications
7. दोषी,एस0एल0एवं पी0सी0जैन. 2009. *भारतीय समाज संरचना और परिवर्तन,* जयपुरःनेशनल पब्लिशिंग हाऊस।
8. गुप्ता,मोती लाल.2005. *भारत में समाज,* जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी